ग्राम पंचायत थरौला, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला

के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1/4/2015 से 31/3/2018

1 प्रस्तावना

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि0प्र0, को सोंपे जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत थरौला कोटखाई, विकास खण्ड जुब्बल , जिला शिमला के अवधि 4/2015 से 3/2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे: –

(i) प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमती शर्मीला पुरटा	1.4.2015 से 22.01.2016 तक
2	श्री राकेश चौहान	23.01.2016 से 31.3.18 तक

(ii) सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री सुरिंदर सिंह	1.4.2015 से 24-11-2016 तक
2.	श्री मदन दिपटा	25-11-2016 से 31.3.18 तक

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार :– ग्राम पंचायत थरौला, तहसील कोटखाई, विकास खण्ड जुब्बल, जिला शिमला के अवधि 1/4/2015 से 31/3/2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना	6	0.56
2	विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों व Musterroll भुगतान हेतु राशि का भुगतान नकद किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना	7	1.36
3	दिनांक 31.03.2018 तक अनुदान का उपयोग न करना	9	7.41
4	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	10	2.18
5	सक्षम अधिकारी से पारित करवाए बिना बिलों का भुगतान करना	13	1.48
6	अंकेक्षण का भुगतान वाउचर एवं सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध न करवाना	14	0.37
7	अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करना	16	1.30

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत थरौला, विकास खण्ड कोटखाई जुब्बल, जिला शिमला के अवधि 1/4/2015 से 31/3/2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण , श्री अनिल कुमार, सहायक नियंत्रक द्वारा अवधि 24.08.18 से 01.09.18 तक के दौरान ग्राम पंचायत थरौला, जिला शिमला के कार्यालय में किया गया। लेखाओं के विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया , जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है:-

वितीय वर्ष	आय	व्यय
2015-16	02/2016	10/2015
2016-17	07/2016	03/2017
2017-18	07/2017	04/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना /अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3. **अंकेक्षण शुल्क**

ग्राम पंचायत थरौला, विकास खण्ड कोटखाई जुब्बल, जिला शिमला के अवधि 4/2015 से 3/2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि 0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 7/2018 दिनांक 06.08.2018 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत थरौला से अनुरोध किया गया।

4. **वित्तीय स्थिति**

सचिव, ग्राम पंचायत थरौला, विकास खण्ड कोटखाई जुब्बल, जिला शिमला द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार MG NREGA, 14वें वित् आयोग के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की रोकड़ बही मे आय/व्यय को लेखांकित किया गया है तथा साथ ही बैंक खातों में तदानुसार जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय व्यय के सम्बन्ध में Ledger Accounts नहीं बनाए गए है। Ledger Accounts नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय, व्यय को अलग –अलग नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत के अवधि 4/2015 से 3/2018 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **"परिशिष्ट– 1"** पर दिया गया है।

वितीय वर्ष	**आरम्भिक शेष (₹)**	**आय/प्राप्ति (₹)**	**कुल योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तशेष (₹)**
2015-16	2146093	1045922	3192015	818399	2373616
2016-17	2373616	2727596	5101212	1581069	3520143
2017-18	3520143	2325324	5845467	858390	4987077

(1) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बित बर्ष2017-18 के अंत मे आय तालिका न बनाना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1),(2),(3) व 10(1) के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव रोकड़ बही को नियमानुसार बनायेगा। व्यय की प्रत्येक मद के लिया बाउचर तैयार करके उसको प्रधान से पूर्ण विवरण सहित पारित करवाकर उसका भुगतान सुनिश्चित करके उसका संरक्षण उचित नस्ति मे करेगा और इसी प्रकार ग्राम पंचायत को प्राप्त होने बाली आय की प्राप्ति पर उस ब्यक्ति / फर्म के नाम रसीद जारी करेगा तथा उसकी दुसरी प्रति का रसीद बुक मे संरक्षण व हर रसीद की प्रविष्टि रोकड़ बही मे तिथि बार करके ह र माह के अंत मे बैंक के साथ मिलान करने के साथ उसकी पुष्टि प्रधान से करवायेगा। अभिलेखो की नमूना जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा बर्ष 2015-16 से 2017-18 के अंत मे उक्त वर्णित नियमानुसार रोकड़ बही का बैंक पास बुक से मिलान नहीं किया गया था और न ही बर्ष के अंत मे आय और व्यय का विवरण रोकड़ बही मे बनाया गया था। रोकड़ बहीयों मे कही भी गत शेष नहीं दर्शाये गये थे जबकि लेखा परीक्षा मे जो ग्राम पंचायत की वितीय स्थिति सचिव द्वारा प्रस्तुत की गई है तथा उसमे जो गत शेष दर्शाया गया है वह बैंक खातों के गत शेषों को आधार मान कर बनाई गई/लिया गया है जोकि नियमानुसार गलत है जबकि वित्तीय स्तिथि रोकड़ बही के वास्तविक शेष के आधार पर बनाई जानी थी और उसका मिलान बैंक खातों के शेषों से किया जाना था। अत: ग्राम पंचायत ने कवल सामान्य रोकड़ मे हस्तगत राशी ₹862 ही दर्शाई थी जिसके फलस्वरूप ₹147000 का जो अन्तर पाया गया उसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

रोकड़ वही का नाम	**31.03.18 को रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)**	**31.03.18 को बैंक खातों के अनुसार शेष (₹)**	**अंतर (₹)**
सामान्य (22)	1949859.00	2096859.00	147000.00
निधि (8893)	173345.00	173345.00	0.00
14 वे वितयोग	2898873.00	2898873.00	0.00
सामान्य रोकड़ बही के अनुसार हस्तगत राशी	862.00	0.00	862.00

इस संदर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2 दिनांक 20.08.2018 के प्रतिउत्तर मे पत्र संख्या nil दिनांक शून्य द्वारा सचिव , ग्राम पंचायत ने सूचित किया गया कि रोकड़

बही का रख रखाब /संचालन अब प्रिया सॉफ्ट के अनुसार किया जा रहा है तथा भविष्य मे रोकड़ वही का रख रखाव वितीय नियमों के अनुसार भी किया जायेगा । अतः अपेक्षित कार्यवाही के अतिरिक्त वर्णित अन्तर का शीघ्र समाधान करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(2) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

ग्राम पंचायत थरौला की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है , क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अत : इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. पंचायत के खाता "ख" से अर्जित ब्याज ₹2.30 लाख की राशि को खाता "क" में हस्तान्तरित न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता **"ख"** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को पंचायत निधि के स्व : संसाधनों के खाता **"क"** में हस्तान्तरित किया जाना अपेक्षित हैं परन्तु अंकेक्षण में पंचायत के खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता **"ख"** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज **₹230073** को खाता **"क"** में हस्तान्तरित नहीं किया गया था जोकि उक्त वर्णित नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अत : इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये , खाता **"ख"** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज राशि को खाता **"क"** में हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अवधि 04/2016 से 03/2018 के दौरान खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि का विवरण

Year	Name of GIA	Amount of Interest Earned
2016-17 से 2017--18	Genaral cash book a/c No.4221010022(development Grant	230073
	TOTAL	230073

6 **पंचायत राजस्व के अंतर्गत गृह कर₹0.56 लाख वसूली हेतु शेष**

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट– 2** में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.03.2018 तक गृह कर राजस्व ₹56100 वसूली हेतु शेष था। अत : उपरोक्त राजस्व की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की शीघ्र वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

(1) **पंचायत राजस्व के अंतर्गत किराया ब अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेखों का रख रखाव न करना**

पंचायत द्वारा स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से संबन्धित उपलब्ध सुचना यथा **परिशिष्ट– 2** में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 1.04.15 से 31.03.2018 तक किराया से ₹886 बसूल किए गए थे परन्तु ग्राम पंचायत ने इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये और इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1 दिनाक 25/08/18 द्वारा मांगी सुचना के प्रत्युतर में अबगत करवाया गया कि अपेक्षित अभिलेख तैयार नहीं किया गया है, जोकि गम्भीर अनियमितता है क्योंकि इसके अभाव में प्राप्त आय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के परिसर मे एक निजी स्कूल चल रहा है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत परिसर स्कुल को किराए पर देने तथा उनसे किराया प्राप्त करने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । इसी प्रकार गृह / सम्पति कर से सम्बन्धित भी कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गये थे जिससे यह सुनिशचित किया जा सके कि किस गृह स्वामी से कितना गृह / सम्पति कर प्राप्त हो चुका और कितना वकाया मे था । अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख का तुरन्त उचित रख रखाव किया जाए और यदि नियमानुसार बकाया राशि की वसूली बनती है तो

उस राशि की पंचायत स्तर पर छानबीन उपरान्त वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

(2) पंचायत द्वारा स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध सुचना यथा **परिशिष्ट- 2 में वर्णित** विवरणानुसार दिनांक 1.04.15 से 31.03.2018 तक ग्राम पंचायत की सीमा मे एयरटेल मोबाइल कंपनी का एक मोबाइल टावर लगा हुआ है जिसके तहत 2016 - 17 मे मोबाइल कंपनी से ₹2500 प्राप्त किये थे Govt. of H.P. Deptt. of Information and Technolgy vide letter no. DIT. Dev-(IT)2005(Misc.) dated 22.08.2006 द्वारा जारी Policy for Setting up Mobile Communication Towers में वर्णित FEE STRUCTURE के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र मे मोबाइल कंपनी से मोबाइल टावर का स्थापना शुल्क ₹4000 तथा बार्षिक शुल्क ₹2000 प्रतिबर्ष लेने का प्रवाधान है और यदि मोबाइल टावर का स्थापना 21जून 2017 के पश्चात होता है तो मोबाइल कंपनी से मोबाइल टावर का स्थापना शुल्क ₹10000 तथा बार्षिक शुल्क ₹4000 प्रतिबर्ष लेने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत ने इस से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किये गये थे कि उक्त मोबाईल टावर पंचायत क्षेत्र में कब से स्थापित है जिसके कारण प्राप्त किए जा रहे शुल्क की अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव न हो सकी I अतः वर्णित अभिलेखों का उचित रख रखाव न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसका तुरन्त रख रखाव किया जाए और यदि उक्त वर्णित नियमानुसार सम्बन्धित कम्पनी से कोई बकाया राशि की वसूली शेष बनती है तो उसकी पंचायत स्तर पर छानबीन करने के उपरान्त वसूली सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों , Must roll भुगतान हेतु ₹1.36 लाख की राशि का नकद भुगतान किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार ₹1000 से अधिक राशि का भुगतान बैंक चैक द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न व्ययों वाऊचरों, बैंक पास बुकों और चैक बुकों की **Counterfoils** की पड़ताल करने पर पाया गया कि **₹136210** के व्यय का भुगतान बैंक चैक द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता को न करके पंचायत प्रधान /उप प्रधान और पंचायत सचिव को किया दर्शाया गया था। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि व्यय वाऊचरों पर तो भुगतान बैंक चैक संख्या

अंकित करके बैंक चैक द्वारा ही दर्शाया गया था जबकि बैंक पास बुकों और चैक बुकों की **Counterfoils** के अनुसार सभी बैंक चैक पंचायत प्रधान और पंचायत सदस्यों के नाम जारी किए गए थे , ऐसे सभी भुगतानों का विवरण संलग्न **परिशिष्ट- 3** पर दिया गया हैं। बैंक चैक को सम्बन्धित व्यक्ति के नाम जारी न करके अपितु पंचायत प्रधान/ उप प्रधान और पंचायत सचिव, महिला मंडल या फिर किसी अन्य व्यक्ति के नाम जारी करने से भुगतान की गई राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अत : नियमों की अनदेखी करके भुगतान बैंक चैक द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता व्यक्ति को न करके पंचायत प्रधान / उप प्रधान और पंचायत सचिव, महिला मंडल या फिर किसी अन्य व्यक्ति के नाम जारी किए जाने को या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित सभी भुगतानों की सत्यता की पड़ताल विभागीय तौर पर की जानी सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में सभी भुगतान उक्त नियमानुसार सीधे प्राप्तकर्ता के नाम बैंक चैक जारी करके ही किए जाने सुनिश्चित किए जाए। इस संदर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 4/2018 दिनांक 19.08.2018 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या शून्य दिंनाक 1-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ने सूचित किया गया कि ज़्यादातर भुगतान मजदूरो को किए गए थे , जिनके बैंक खाते नहीं थे तथा भविष्य में सभी भुगतान संबन्धित व्यक्तियों को ही किए जायेगे।

8 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा विहित फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchyat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार व पारित करना सुनिश्चित किए जाए

9 अनुदान ₹7.41 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्व : स्रोत्रों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2018 तक कुल ₹741030 की अनुदान राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–4** पर दिया गया हैं। अत: अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों को सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण संबन्धित संस्था को किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(1) राशी ₹12.67 लाख के अधूरे निर्माण कार्यो के कारण अनुदान राशि का अवरोधन

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्व : स्रोत्रों से निष्पादित निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2018 तक कुल ₹1267088 के निर्माण कार्य अधूरे पडे थे जिनका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–5** पर दिया गया हैं । अत: इन अधूरे पडे निर्माण कार्यो को विहित अवधि के दौरान पूर्ण न करने के कारण जहाँ धन राशि का अवरोधन हुआ है वही लाभार्थी जनता को अपेक्षित लाभों से वंचित होना पड़ा है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये इन निर्माण कार्यो को शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायें।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही₹2.18 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचरिकताए प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट–6"** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹217695 के स्टॉक/स्टोर का क्रय उक्त नियमनुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमित ता है। अत : स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये वर्णित अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में उक्त वर्णित नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की क्रय वस्तुओं की ₹2.17 लाख भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टि यां न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (a,b,c एवं d) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार को उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25,26,27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान क्रय की गई ₹217695 की विभिन्न मदों, जिनका विस्तृत विवरण **"परिशिष्ट-6"** में दिया गया है, को क्रय करने के उपरांत भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है क्योंकि इसके अभाव में क्रय की गई सामग्री की खपत की जाँच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी तथा ऐसे में वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित क्रय सामग्री से संबन्धित स्टॉक रजिस्टर में लेंखाखन व खपत से संबन्धित माप पुस्तिका में लेखांकन करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए I

12 विभिन्न भुगतानों के संदर्भ में उचित वास्तविक प्राप्तिकर्ता रसीद प्राप्त न करना व भुगतान को प्रधान द्वारा सत्यापित न करना

नियमानुसार किसी भी प्रकार के भुगतान करने पर सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म से वास्तविक प्राप्तिकर्ता रसीद प्राप्त किया जाना अनिवार्य हैं। अंकेक्षण में विभिन्न भुगतानों की पड़ताल करने पर पाया गया कि IHHL योजना के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार पंचायत वासियों को ₹12000 प्रति परिवार की दर से शौचालय निर्माण हेतु कुल ₹528000 का भुगतान किया गया था:-

क्रम स0	**व्यक्ति का नाम**	**दिनांक**	**राशी (₹)**
1	Sh. Ramashwer	06-03-17	12000
2	Sh. Attar singh	06-03-17	12000
3	Sh. Sohan Lal	06-03-17	12000
4	Sh. Thathu ram	06-03-17	12000
5	Sh Dinash	06-03-17	12000
6	Sh Davinder	06-03-17	12000

7	Sh. Des Raj	06-03-17	12000
8	Smt. Pushpa	06-03-17	12000
9	Sh. Sohan Lal	06-03-17	12000
10	Sh. jai ram	06-03-17	12000
11	Sh. Payray lal	06-03-17	12000
12	Sh. Suresh	06-03-17	12000
13	Sh. Ashok	06-03-17	12000
14	Sh. Brij Lal	06-03-17	12000
15	Sh. Rajinder	06-03-17	12000
16	Sh. jagmohan	06-03-17	12000
17	Sh. Rajinder Singh	06-03-17	12000
18	Sh. Rajinder Singh	06-03-17	12000
19	Smt. Chandravati	06-03-17	12000
20	Smt. Prabha Devi	06-03-17	12000
21	Sh. Narayan Singh	06-03-17	12000
22	Sh. Surinder Singh	06-03-17	12000
23	Sh. Prem Chand	06-03-17	12000
24	Smt. Sunki Devi	06-03-17	12000
25	Sh. Jai dev	06-03-17	12000
26	Sh. Bhag mull	06-03-17	12000
27	Sh. Sachin	06-03-17	12000
28	Sh. Naresh	06-03-17	12000
29	Sh. Rajinder Singh	06-03-17	12000
30	Sh. Rajinder Singh	06-03-17	12000
31	Sh. Ram Lal	06-03-17	12000
32	Smt. Ishwari Devi	06-03-17	12000
33	Sh. Suresh	06-03-17	12000
34	Sh. Rajesh	06-03-17	12000
35	Sh. Pradeep Kumar	06-03-17	12000
36	Sh. Rakesh Kumar	06-03-17	12000
37	Sh. Gian Singh	06-03-17	12000

38	Smt. Vidya	06-03-17	12000
39	Sh. Dulat Ram	06-03-17	12000
40	Sh. Ram Krishan	06-03-17	12000
41	Sh. Davinder	10-03-17	12000
42	Sh. Brij lal	22-03-17	12000
43	Smt. Parvati	12-04-17	12000
44	Sh. Mohinder	17-04-17	12000
	Total		528000

उक्त भुगतान से सम्बन्धित भुगतान प्राप्ति रसीद का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि रसीदों को पूर्ण रूप से भरा नहीं गया था और न ही भुगतान की रसीदों को प्रधान द्वारा सत्यापित किया गया था। इसके अतिरिक्त यह सत्यापना भी नहीं की गई थी कि राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कर लिया गया है। सचिव ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा को अंकेक्षण के दौरान अबगत करवाया कि उक्त राशि का भुगतान उन्ही लोगो को किया गया था जिन के नाम से राशी स्वीकृत थी परन्तु भुगतान बाउचर मे इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख सलंगन नहीं थे जिस से यह सुनिशिचित हो सके कि भुगतान उन्ही व्यक्ति को किया गया जिन के मामले सरकार ने स्वीकृत किए थे । अतः इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर वर्णित अभिलेख/सूचना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 सक्षम अधिकारी से पारित करवाए बिना₹1.48 लाख के बिलों का भुगतान करना

भुगतान से सम्बन्धित बाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "7"** में वर्णित बिलों ₹148260 का भुगतान बिना सक्षम अधिकारी से पारित करवाये किया था जोकि एक गम्भीर अनियिमिता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित बिलों को अब सक्षम अधिकारी से पारित करवाकर आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिशिचित किया जायें ।

उक्त के अतिरिक्त वर्णित भुगतान की सम्बन्धित प्राप्त कर्ताओं से वास्तविक प्राप्ति रसीदों को भी प्राप्त नही किया था यदपि भुगतान चेक द्वारा किया गया था फिर भी भुगतान से सम्बन्धित रसीदों को प्राप्त करके अभिलेखों मे संरक्षित किया जाये ताकि सुनिशिचित हो सके कि भुगतान सही व्यक्ति /फर्म को ही किया गया है तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अबगत करवाया जायें।

14 अंकेक्षण को ₹0.37 लाख के भुगतान वाऊचर एवं सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध न करवाना

अंकेक्षण को निम्न विवरणानुसार ₹37200 के भुगतान, वाउचर व सम्बन्धित अभिलेख आवश्यक लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए जोकि गम्भीर अनियमितता है I इस संदर्भ में सचिव ग्राम पंचायत को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी अभिलेख/सूचना प्रस्तुत नहीं की गई। ऐसी अवस्था में राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता I अत : इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन करके वस्तुस्थिति सपष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए :-

रोकड़ वही पृष्ठ सं0	दिनांक	निधि का नाम	भुगतान का विवरण	भुगतान राशि (₹)
39	12.10.2015	GENERAL	Supply of 76 no. cement bags from HPSCSC against work Samudiyik Bhawan, tau	18848
39	12.10.2015	GENERAL	Supply of17 no. cement bags from HPSCSC against work parishAAR THAROLLA	4216
39	12.10.2015	GENERAL	Supply of 9 no. cement bags from HPSCSC against work SPORTS MAIDAN थरौला	2232

39	12.10.15	GENERAL	Supply of 3 no. cement bags from HPSCSC against work Mandir parisar , Chathka	744
40	15.10.15	GENERAL	Supply of 45 no. cement bags from HPSCSC against workpacca path padara to PDARA MANDIR	11160
			कुल योग	**37200**

15 रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय ₹2.95 लाख के स्त्रोत उद्देश्य इत्यादि से सम्बन्धित सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध न करवाना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 के अनुसार जब कभी भी पंचायत द्धारा किसी भी प्रकार की आय प्राप्त की जायेगी उस स्थिति में सचिव द्धारा फार्म –3 में प्राप्ति की रसीद जारी किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्राप्त राशि रोकड़ बही में अज्ञात स्त्रोत से प्राप्त लेखा शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई गई थी तथा इस प्राप्ति के बदले उक्त वर्णित नियमानुसार कोई रसीद भी जारी नहीं की गई थी। अत: इस संदर्भ में विभागीय तौर पर आवश्यक छानबीन करके अपेक्षित सूचना /अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए :-

तिथि	रोकड़ वही/पृष्ठ सं0	प्राप्त राशि (₹)	अभियुक्ति
6-04-17	GERENAL(P.NO.62)	13800 &12300	NO SOURCEAND PURPOSE WAS INDICATED MOREOVER NO RECEIPT WAS ALSO INDICATED IN THE CASH BOOK
12-05-17	GENERAL (P.NO. 63)	18863/-	-DO-
17-07-17	GERENAL(P. NO.65)	39840/-	-DO-
19-07-17	GERENAL(P. NO.65)	14853/-	-DO-
12-10-17	GERENAL(P. NO.67)	147000/-	-DO-
13-10-17	GERENAL(P. NO. 67)	25025/-	-DO-

22-11-17	GERENAL(P.NO.68)	20150/-	-DO-
6-01-18	GERENAL(P.N0.68)	55950/-	-DO-
21-02-18	GERENAL(P. NO.70)	58800/-	-DO-

16 अस्थाई अग्रिमों ₹1.30 लाख का समायोजन न करना: –

व्यय वाऊचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत के पदाधिकारियों को विभिन्न प्रयोजनों हेतु हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार अस्थाई अग्रिम राशियों का भुगतान किया गया था। उक्त वर्णित नियमानुसार प्रयोजन के पूर्ण होने के तुरंत बाद अग्रिमों का समायोजन किया जाना अपेक्षित था, परन्तु **परिशिष्ट –8** में वर्णित अस्थाई अग्रिमों के समायोजन हेतु समयानुसार उचित कार्यवाई न करने के कारण दिनांक 31.03.2018 तक कुल ₹130000 के अस्थाई अग्रिम समायोजन हेतु शेष थे। अस्थाई अग्रिमों का समय पर समायोजन न करवाने के कारण राशि के अस्थाई दुर्विनियोजन की संभावनाओं से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अत : अस्थाई अग्रिमों को समय पर समायोजित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा इन राशियों का यथाशीघ्र समायोजन सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 ग्राम सभा कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Register) को पूर्ण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के बदले में मानदेय का भुगतान किया जायेगा, यदि कोई निर्वाचित सदस्य ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थित नहीं होता तो उसे उस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा। अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय भुगतान और ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Register) की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Register) को भरा ही नहीं गया था जिसके फलस्वरूप यह सुनिशिचित नहीं किया जा सका कि ग्राम पंचायत की बैठक जो हर माह मे दो बार की जानी अनिवार्य थी, की गई थी या नहीं तथा इसकी एवज में बर्ष 2015 से 2018 तक सदस्यों का किया गया मानदेय का भुगतान नियमानुसार सही था या नहीं ? अत : कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Register) को

नहीं भरा जाना एक गम्भीर अनियमिता है जिस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जायें और ग्राम पंचायत कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Register) को भर कर आगामी अंकेक्षण के दौरान अपेक्षित सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिशिचित किया जायें ।

18 चौकीदार, सिलाई अध्यापिका एवं अन्यों को किए गए के भुगतान के संदर्भ में आवश्यक उपस्थिति रजिस्टर इत्यादि का संधारण न करना

अंकेक्षण अवधि 04/2015 से 03/2018 तक के दौरान चौकीदार ,सिलाई अध्यापिका एवं अन्यों को किए गए भुगतान की पड़ताल करने पर पाया कि इन सभी कर्मचारियों को मासिक आधार पर भुगतान किया गया था परन्तु भुगतान के समर्थन में उपस्थिति रजिस्टर का संधारण नही किया गया था जिसके कारण वर्णित कर्मचारियों को किए गए भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अत : इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए और अपेक्षित सत्यापित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाए अन्यथा भुगतान उचित न पाए जाने की अवस्था में सम्बन्धित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए ।

19 नियमानुसार विहित रजिस्टरों क रख-रखाव न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था , जोकि गम्भीर अनियमितता है। अत : नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख –रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

क्रम संख्या	रजिस्टर /अभिलेख का विवरण	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के खाते(Ladgers)	7	29(1)
6	वर्गीकृत सार (Classified Abstract)	8	29(4)

7	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a&b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

20 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 विविध अनियमितताँए

(क) रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त आय और अनुदानों को बैंक में जमा करवाया जायेगा तथा यह खाते पंचायत फ़ंड – A और पंचायत फ़ंड –B होगे। पंचायत फ़ंड –A में ग्राम पंचायत के स्व : स्रोत्र से प्राप्त आय जमा होगी जबकि पंचायत फ़ंड –B में अनुदानों से प्राप्त आय जमा की जायेगी। सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत की आय–व्यय और अनुदानों के लेखांकन हेतु निम्न रोकड़ बहियों का संधारण किया गया है, तथा साथ ही प्राप्त स्व : स्रोत्र आय और विभिन्न अनुदानों को विभिन्न बैंक खातों में तदानुसार ही जमा करवाया गया था , जोकि अनियमित है क्योंकि उपरोक्त वर्णित नियम के अन्तर्गत पंचायत फ़ंड – A और पंचायत फ़ंड –B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन एवं संधारण किया जाना चाहिए था। अत : पंचायत फ़ंड – A और पंचायत फ़ंड –B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस संदर्भ में

नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

General Cash Book	इस रोकड़ बही में Own Sources और विभिन्न GIA (Other than Water Shed Grant, एवं MANGERGA) का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for MG NAREGA	इस रोकड़ बही में MG NAREGA से संबन्धित रोकड़बही का लेखांकन नही किया गया था।
Cash Book for 14th FC	इस रोकड़ बही में 14th FC Grant से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) के अनुसार वर्ष के अंत में रोकड़ बही में Cash in hand के साथ संबन्धित बैंक खातों का कोई विवरण नहीं दिया गया था। अत : सभी रोकड़ बहियों का निर्माण उपरोक्त वर्णित नियम 7 के अनुसार न किए बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ-2 विहित फार्म -7 पर खाता बहियों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था , परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विहित खाता बहियों (Ledgers) का संधारण नहीं किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है। अत: नियम 29(1) के अनुसार खाता बहियों का संधारण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(घ) हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का संधारण किया जाना अनिवार्य था , परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु विहित फार्म -8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का संधारण नहीं किया गया था। जिसके अभाव में अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय को बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं

किया जा सका। अत : नियम 29(4) के अनुसार वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का संधारण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ड) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए) (1) के अंतर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2015 से 3/2018 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत द्वारा नहीं बनाई गई थी जोकि अनियमित है । अत: 93(ए) (1) के अंतर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(च) ग्राम पंचायत की आय से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आय संग्रह के लिए जारी रसीद बुकों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था जिस के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीद बुकों के अन्तर्गत प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं ? अत : आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीद बुकों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही रसीद बुक को जारी करते समय इसकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए।

(छ) **मनरेगा** से संबन्धित अभिलेखों की अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 04/2015 से 03/2018 तक के दौरान **मनरेगा** से संबन्धित प्राप्त अनुदानों और भुगतानों को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया हैं। इस सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया कि इस अवधि के दौरान समस्त लेन –देन जिलाधीश कार्यालय, शिमला/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सीधे तौर पर किया जाता हैं। चूँकि सभी भुगतान बिल वाउचर पंचायत स्तर पर ही तैयार किये जाते है तथा उसका अभिलेख भी पंचायत स्तर पर ही रखा जाता है इसलिए रोकड़ बही का लेखांकन भी पंचायत स्तर पर किया जाना अनिवार्य है । अत: उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। अन्यथा इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी तथा सभी लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान ही कर लिया गया था।

23 **निष्कर्ष :–** लेखों मे सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता / –

(हेमराज भारद्वाज)

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(i)90 / 2018 खण्ड–1–274–277 दिनांक 10.01.19 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत थरौला, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / –

(हेमराज भारद्वाज)

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

फोन नं0 0177–2620881